मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 8190 /आई.ए.वाई./अमुस/2016 भोपाल, दिनांक ~~08~~ 13/07/2016

प्रति,

श्री एम.एल.वर्मा,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत – अशोकनगर
(म.प्र.)

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र।.

इंदिरा आवास योजना की आज दिनांक 08.07.2016 को समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिले में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 में 2840 हितग्राहियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया और उनमें से 320 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है। आपके जिले में इस अवधि में केवल 01 इंदिरा आवास पूर्ण हुए।

2. वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 16 जून 2016 .में निर्देशित किया गया था कि आपके वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में 25 प्रतिशत वैटेज आवास निर्माण संबंधित योजनाओं की प्रगति पर आधारित होगा। दिनांक 28 जून 2016 को व्हाट्सएप पर आपकों सूचित किया गया था कि जिलों से लगभग 2.30 लाख इंदिरा आवास योजना के आवास पूर्ण होना बताए गए हैं लेकिन उसकी जानकारी आवास सॉफ्ट की वेबसाईट पर अपलोड नहीं की गई है। आपको तत्परता से जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आपकों दिनांक 03.07.2016 को व्हाट्सएप पर यह सूचित किया गया था कि अपर मुख्य सचिव वीडियो कान्फ्रेस लेकर प्रगति की समीक्षा करेगें।

3. उपरोक्त के बावजूद भी आपने निर्देशों का पालन नहीं किया और आपके कार्य तथा प्रगति अत्यन्त कमजोर बनी रही ।

4. आपसे अपेक्षा है कि वर्तमान में प्रथम किश्त जारी किये गये प्रकरणों में से 40 प्रतिशत प्रकरणों की पूर्णता दिनांक 27.07.2016 के पूर्व की जाए।

Cont-2

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में आप दिनांक 27 जुलाई 2016 तक कारण बताए कि क्यों न आपको राज्य शासन की अप्रसन्नता संसूचित करते हुए इसका लेख आपके वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र/गोपनीय प्रतिवेदन में किया जाए।

12.7.16

(एस.आर.चौधरी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग